दक्षिण मध्य रेलवे

सेफ्टी.387 / फ्लाई लीफ / 09 / 2025

फ्लाई लीफ सं. 09 / 2025

सर्व संबंधित ..... ध्यान दें ...

निर्माण कार्य स्थलों पर मानसून संरक्षा पूर्वोपाय

(रेलवे बोर्ड का दि.02.06.2025 का पत्र सं.2025/डब्ल्यू- I/सा./संरक्षा पूर्वोपाय)

***

रेलवे परियोजनाओं, विशेषकर मल्टी-ट्रैकिंग कार्यों के मामले में कार्य स्थलों पर मानसून अवधि के दौरान अधिक पूर्वोपाय किए जाने चाहिए. रनिंग ट्रैक के निकट कार्य स्थलों पर पूर्वोपायों के अलावा, मानसून पूर्वोपाय के रुप में कुछ अन्य गतिविधियां भी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चल रही निर्माण गतिविधियों के कारण संवेदनशील स्थिति उत्पन्न न हो. मानसून से पहले और मानसून के दौरान अपनाए जाने वाल पूर्वोपाय नीचे दिए गए हैं-

(i) मानसून के आरंभ होने से पहले रनिंग ट्रैक के निकट खुदाई के जोखिम का आकलन किया जाना चाहिए और आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि क्या यह कार्य करना सुरक्षित है ·किसी भी स्थिति में खुदाई तभी की जानी चाहिए, जब सबसे खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी सुरक्षा प्रबंध किए गए हों और आपातकालीन स्थिति से निपटने के उपाय उपलब्ध हों.

(ii) आंशिक रूप से खुदाई किए गए स्थान की सुरक्षा के लिए, साइड के ढलानों आदि की सुरक्षा के लिए साइट पर पर्याप्त संख्या में रेत की बोरियां रखी जानी चाहिए.

(iii) वर्तमान पुलों के जलमार्ग, जिन्हें सर्विस रोड या अन्य कार्यस्थल गतिविधियों के लिए अस्थायी रूप से अवरुद्ध किया गया है, उन्हें मानसून आरंभ होने से पहले साफ किया जाना चाहिए.

(iv) निर्माण स्थलों पर लिफ्टिंग/लॉन्चिंग कार्य केवल सहारा देने वाले क्षेत्रों की दृढ़ता, विद्युत संस्थापनों की निकटता के संबंध में उचित जोखिम आकलन के बाद ही किया जाना चाहिए और यदि कार्य किया जाता है तो यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया जाना चाहिए कि सहारा देने वाले क्षेत्र मजबूत हैं और उनमें पर्याप्त भार वहन करने की क्षमता है.

(v) यार्ड क्षेत्र में काम करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि वर्तमान जल निकासी व्यवस्था प्रभावित न हो. मलबे का अच्छा प्रबंधन होना चाहिए ताकि यार्ड में वर्तमान जल निकासी व्यवस्था या आस-पास के क्षेत्र में प्राकृतिक जल निकासी में कोई बाधा न आए.

(vi) कटिंग क्षेत्रों में मल्टी-ट्रैकिंग गतिविधियाँ करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जल संग्रहण नालियों को मानसून से पहले क्रियाशील बना दिया जाए तथा मानसून से पहले कोई भी केबल ट्रेंच खाली न छोड़ा जाए. वर्तमान कटिंग में मौजूदा साइड नालियों को हर समय कार्यात्मक बनाए रखना होगा.

(vii) नवनिर्मित तटबंधों या ताजा काटे गए कटों की ढलान स्थिरता दिशानिर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए तथा ढलानों में अत्यधिक वर्षा से बचने के लिए पूर्वोपाय मानसून से पहले लागू किए जाने चाहिए.

(viii) मानसून के कारण बंद किए गए कार्यस्थलों को कामगारों/मशीनों को हटाने से पहले पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाना चाहिए.

(ix) बाढ़/दरार आदि के संबंध में संवेदनशील कार्य स्थलों की पहले ही पहचान कर ली जानी चाहिए तथा आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कुछ मिट्टी हटाने वाले उपस्करों को वाहन योग्य स्थानों पर तैयार रखा जाना चाहिए.

2. उपर्युक्त सूची संपूर्ण नहीं है और साइट की स्थितियों के आधार पर साइट प्रभारी द्वारा मुख्य इंजीनियर के परामर्श से पर्याप्त सावधानियां बरती जानी चाहिए, ताकि मानसून अवधि के दौरान चल रही निर्माण गतिविधियों के कारण साइट पर या रनिंग लाइनों के लिए कोई संवेदनशील स्थिति पैदा न हो.

***

संरक्षा संगठन **दक्षिण मध्य रेलवे**

अस्वीकरण :

इस फ्लाई लीफ में इस विषय पर उल्लिखित उपर्युक्त सामग्री विभिन्न मैनुअल, रेलवे बोर्ड के पत्रों और अन्य पत्रों का अंश है. इसे मूल पत्र और समय-समय पर जारी किए गए अन्य मैनुअल/पत्रों के साथ पढ़ा जाना चाहिए तथा यह किसी भी तरह से उनका स्थान नहीं ले सकता है.